

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
क्रमांक- प.25(2)आयु / 2015

आदेश

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के अध्यक्ष काफिल प.10(76) एमड / सुनाई / 2014 दिनांक 04.02.2015 आयुर्वेद विभाग पर निदेशिका चिकित्सा विभाग में आयुर्वेद लेवेलेशन शिप का सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयुर्वेद विभाग के आयुर्वेद विभाग के होम्योपैथिक ए-क्लास चिकित्सालयों के चिकित्सकों को आयुर्वेद विभाग द्वारा परामर्श अनुसार मुख्यमंत्री निशुल्क जीव संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया।

माननीय नत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेद विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 28.10.2015 के निर्देशानुसार राज्य के आयुर्वेद विभाग एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों / औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों को आयुर्वेद विभाग द्वारा परामर्श अनुसार मुख्यमंत्री निशुल्क जीव संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयुर्वेद विभाग के समीपस्थ राज्य के चिकित्सक महाविद्यालयों में परामर्श चिकित्सालयों के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को आयुर्वेद चिकित्सालयों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों परामर्श अनुसार परामर्श अनुसार आयुर्वेद चिकित्सकों को आयुर्वेद विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जायगा।

उक्त का सक्षम स्तर पर अनुमति प्राप्त की जायगी।

(मुकेश शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(संजय दीक्षित)

प्रमुख शासन सचिव
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री महादया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय नत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव मिशन निर्देशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मिशन जयपुर।
7. मुख्य शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-1 विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आयुर्वेद विभागों को आवश्यक निर्देशों को अत्यानुरूप कराने के लिये निर्देशित किया गया है।
8. निर्देशक (आर.ई.सी.) चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि जयपुर चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया है।
9. निर्देशक (आयुर्वेद) चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि जयपुर चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया है।
10. निर्देशक, होम्योपैथिक, सुनानी चिकित्सा विभाग जयपुर समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर।
11. मुख्य सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर।
12. प्राचार्य राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर।

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक: प.3/सामा-7/औष.पु.भ./2016/7893
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 7-4-16

1. समस्त आहरण वितरण अधिकारी.....

(सेवा राम स्वामी)
उप निदेशक